

प्रेषिका,

श्रीमती उरुज फातिमा
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-3 इटावा।

सेवा में,

श्रीमान् अहरण वितरण अधिकारी
लखीमपुर खीरी।


विषय- पेट्रोल भत्ता हेतु अदेयता प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थिनी का स्थानान्तरण जनपद लखीमपुर खीरी से दिनांक 12-04-2021 को जनपद इटावा हो गया है। प्रार्थिनी द्वारा जनपद लखीमपुर खीरी में फरवरी 2020 तक पेट्रोल भत्ता प्राप्त किया गया था, परन्तु उसे उपरान्त मार्च 2020 से मार्च 2021 तक का पेट्रोल भत्ता नहीं मिला है।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रार्थिनी को उक्त समयावधि का पेट्रोल भत्ता न मिलने के सम्बन्ध में अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी।

दिनांक- 09-09-2021

भवदीया

(श्रीमती उरुज फातिमा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोर्ट संख्या-3 इटावा।